Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of
	आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली दिनांक 20/2/24 को पेश हो। Priyanka	
20/02/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। गत आदेशिका की पालना आगामी तारीख पेशी पर करे। पत्रावली दिनांक 26/02/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	
2		
26/02/24	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर / दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28/02/24 को पेश हो।	
28/02/24	पत्रावली पेश। प्रा० पत्र under section 212 RTA पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 29/02/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	
29/02/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक बहस अधि० प्रार्थी- प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता के नाम वक्त settlement से बम्बोर दर्जियान में 2 खेत तथा बम्बोर पुरोहितान में 1 खेत आया हुआ है। बम्बोर दर्जियान में ख०सं० 38	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	(10 बीघा 16 बिस्वा), ख. सं. 41 (18 बीघा, 2 बिस्वा) की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता के नाम न होकर उनके बड़े भाई अन्नाराम के नाम दर्ज हो गई। वक्त settlement अन्नाराम, चूड़ाराम नाबालिग थे एवं उनके पिता दौलाराम का देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति में अन्नाराम कर्ता खानदान थे और उनके नाम ख. सं. 38, 41 (बम्बोर दर्जियान), ख. सं. 46, 53 (बम्बोर पुरोहितान) की खातेदारी दर्ज हो गई। बम्बोर दर्जियान में ख. सं. 368, 385, 386, 371, 374, 375 (कुल 142 बीघा 12 बिस्वा) अन्नाराम, चूड़ाराम के नाम दर्ज हुई। मौखिक बंटवारे में बम्बोर दर्जियान का 142 बीघा में दोनों ने बराबर हिस्सा प्राप्त किया। ख. सं. 38, 41 (बम्बोर दर्जियान) चूड़ाराम ने एवं ख. सं. 46, 53 (बम्बोर पुरोहितान) अन्नाराम ने प्राप्त किया। ख. सं. 38, 41 में आज भी प्रार्थीगण की ढाणी बनाई हुई है एवं एक होटल संचालित हो रहा है। अतः तार्फैसला मूलवाद विवादित भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।" अभि. प्रार्थीगण द्वारा पुलिस चौकी झंवर की जाँच रिपोर्ट पेश की गई, जिसे शामिल मिसल किया गया। मुताबिक बहस अभि. अप्रार्थीगण "वक्त settlement संवत 2011 में चुड़ाराम की आयु 30 वर्ष थी, उस समय प्रार्थीगण का जन्म हो चुका था तथा चुड़ाराम व अन्नाराम के अलग-अलग परिवार थे विवादित भूमि अन्नाराम की थी, इसलिए	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of th
	उनके नाम दर्ज हुई। इसकी जानकारी प्रार्थीगण को वक्त settlement से थी। बम्बोर दर्जियान की 142 बीघा भूमि सामलाती होने से दोनों के नाम खतौनी बंदोबस्त में लिखे गए। ख. सं. 41 में ढाणी अन्नाराम द्वारा बनाई गई है। विवादित भूमि का लगान भी अन्नाराम द्वारा भरा गया है। ख. सं. 38, 41 की संवत् 20R से लगातार गिरदावरी में अन्नाराम का नाम दर्ज है। प्रार्थीगण वर्तमान में विवादित भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	अधि. अप्रार्थीगण द्वारा Form 03 के साथ दस्तावेज पेश किये गये- 1. संवत् 2008 का पर्चा खतौनी - जिसमें अन्ना वल्द दोला काश्तकार ख. सं. 38, 41 दर्ज है।	
	2. खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 - ख. सं. 38, 41 खातेदार अन्ना वल्द दोला।	
	3. पट्टा ठिकाना मौजा बम्बोर दर्जियान - काबिज अन्ना व धूड़ा पिता दोला।	
	अधि. अप्रार्थीगण द्वारा citation पेश किया गया -" Sardar Vs Girraj Prasad judgement - TI issued by lower court on basis of possession in suit against def (Khatedar). Khatedar tenant can't be restrained by way of TI since rights of Plantiffs, yet to be decided in suit land."	

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

urt of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

te	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाता है- 1. मुताबिक जमाबंदी ख. सं. 38, 41 वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अतः as per judgement in case Savdare v/s Girraj प्रथम-दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। Rights of Plaintiffs are yet to be decided in suit. 2. मुताबिक पट्टा ठिकाना मौजा बम्बोर (ख. सं. 368, 385 .....) चूड़ाराम दर्जियान स्वयं भी वक्त settlement उपस्थित थी 3. प्रार्थीगण का यह कथन कि वक्त settlement उनके पिता नाबालिग थे, गलत साबित होता है। settlement संवत 2011 में हुआ, वर्तमान में संवत 2080 चल रहा है एवं वाद-पत्र में प्रार्थीगण की उम्र 71 वर्ष (वर्ष ग्रिगोरियन 2022) अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता वक्त settlement बालिग थी 4. प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर Hotel बताया जाना एवं पुलिस report में खड़ा प्रदर्शित होना, गैर-कृषि कार्य को इंगित करता है। अतः अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of comp of the Order
	प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Pushkar सहायक ... मजिस्ट्रेट (...), जोधपुर	